

तारीख हुक्म

15/7/21

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अनवानी प्रार्थना पत्र मूल मा पत्र 09 R13 CPC के निर्णय तक राजस्व वाद करके 05/2007 जैराम उर्फ जयशाम बनाम श्यामलाल में पारित निर्णय व डिफ्री दिनांक 17.10.2004 की पालना व प्रभाव को स्थगित किए जाने हेतु पेश किया गया था। चूंकि मा पत्र 09 R13 CPC का निर्णय दिनांक 05/4/21 को पारित किया जा चुका है अतः प्रस्तुत मा पत्र चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतः मा पत्र खारिज किया जाकर फंसल शुमार हो व नत्थी मूल मा पत्र हो।

(Signature)

जज कलेक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (FI), जोधपुर

नज अदा  
रुस्म मुव  
ता  
हु